209/17
19/5/2017

संशोधित नियमावली

1. **सोसायटी का नाम :– कल्पना कल्याण समिति**
2. **पता :– मकान नं. 145/2, ग्राम इटौरा, पो. सगरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**
   सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9424337944,
   ईमेल आईडी – singhbp903@gmail.com

पंजीयन क्रमांक 1197/
पंजीयन दिनांक 22/9/14
संशोधन दिनांक 26/9/17
सहायक पंजीयक

3. **संस्था का कार्यक्षेत्र :–** सम्पूर्ण भारत होगा।
4. **समिति का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–**

1 लडकियों को शिक्षा देने/प्रौढ महिलाओं, पुरुषों अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, गरीबों एवं दूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर रोजगार प्राप्त करने या प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये दक्ष बनाना तथा इस हेतु शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना तथा शिक्षा के अधिकार के अधीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही हेतु सुझाव एवं खामियों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

2 गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़े और निराश्रितों के सामाजिक न्याय के लिये सहयोग देना तथा उनकी समस्यायें शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर समस्त वैधानिक उपायों द्वारा निराकरण करवाना।

3 विभिन्न सामाजिक एवं ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना, सामाजिक विकास के लिये उन्हें कुटीर उद्योगों की जानकारी देना, विकलांगों, नेत्रहीनों, अनाथ, विधवा, वृद्धों तथा निराश्रितों की मदद करना, पुनर्वास केन्द्र एवं आश्रमों का संचालन करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत प्रसवोत्तर देखभाल तथा प्रसव गृह, बाल स्वास्थ, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कराना।

4 महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन, नियोजन एवं अन्य योजनाओं के प्रति जनजागरूकता लाने के लिये शिक्षण–प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना।

5 ग्राम के सुदूर क्षेत्रों की ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पशु पालन, गौसंवर्धन, जैविक खाद का उपयोग, पारम्परिक एवं आधुनिक कृषि कार्य का सम्वन्वय स्थापित कर विपुल कृषि उत्पादन हेतु कृषक जागरण करना।

अध्यक्ष   सचिव   C.M.O S.G.M.H Rewa   कोषाध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति

5. **सदस्यता**– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:–

(अ) **संरक्षक सदस्य** :– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 5000/– या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य** :– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 1000/– या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा, कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 4000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य** :– जो व्यक्ति रुपये 45/– माह रूपये 540/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्माननीय सदस्य** :– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्या की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है।

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

पंजीयन क्रमांक 1197
पंजीयन दिनांक 23/9/19
संशोधन दिनांक 26/9/17
सहायक पंजीयक

अध्यक्ष कल्पना कल्याण समिति
अध्यक्ष कल्पना कल्याण समिति
सचिव
सचिव कल्पना कल्याण समिति
C.M.O
S.G.M.H
Rewa
कोषाध्यक्ष

4. सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :– सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–

पंजीयन क्रमांक..1971
पंजीयन दिनांक..23/3/14
संशोधन दिनांक..26/4/17

सहायक पंजीयक

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) पागल हो जाने पर।

(3) संस्था के देय शुल्क की रकम नियम 5 में दर्शाये अनुसार जमा न करने पर।

(4) त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

(5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगा।

9. **संस्था कार्यालय में पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:–**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं0।

(3) वह तारीख जिसमें सदस्या समाप्त हुई हो।

10. (अ) **साधारण सभा**– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य सम्मिलित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा**– प्रबंधकारिणी सभा बैठक हर तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक

अध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति

सचिव
कल्पना कल्याण समिति

C.M.O
S.G.M.H
Rewa

कोषाध्यक्ष

सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा।

यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

पंजीयन क्रमांक 11971
पंजीयन दिनांक 23/9/19
संशोधन दिनांक 26/4/14
सहायक पंजीयक

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था को स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** :– नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष (3)सचिव (4)कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–6

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराया जाना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष — सचिव — कोषाध्यक्ष

S.G.M.H
Rewa

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इससे आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति या उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

पंजीयन क्रमांक 11971
पंजीयन दिनांक 22/3/14
संशोधन दिनांक 26/4/19

(द) कर्मचारियों/शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायेंगे।

सहायक पंजीयक

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जावेगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार :–**

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्रों तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवदेन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष
अध्यक्ष

सचिव
C.M.O
S.G.M.H
Rewa
सचिव समिति

कोषाध्यक्ष

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 2500/– खर्च करने का अधिकार होगा।

18 **संयुक्त सचिव के सचिव के आधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

पंजीयन क्रमांक 1371
पंजीयन दिनांक 23/3/10
संशोधन दिनांक 26/4/1

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

सहायक पंजीयक

20. **बैंक खाता** : संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूची या बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 5000/– रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों को परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटन** : संस्था का विघटन सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **संपत्ति** : संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर)रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के

अध्यक्ष — सचिव C.M.O G.M.H — कोषाध्यक्ष

बिना विक्रय द्वारा, शुल्क द्वारा, या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. **विवादः**– संस्था में किसी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

पंजीयन क्रमांक 1971
पंजीयन दिनांक 23/9/14
संशोधन दिनांक 26/4/17
सहायक पंजीयक

18/5/17
(अजय खरे)
सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें
रीवा संभाग रीवा

अध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति

C.M.O
S.G.M.H
Rewa

अध्यक्ष

सचिव
कल्पना कल्याण समिति
रीवा (म०प्र०)

कोषाध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति

209/17
18/5/2017

प्रारूप क्रमांक–1
(देखिये नियम 3)
समितियों के संशोधित पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र

1. सोसायटी का नाम :– कल्पना कल्याण समिति

2. पता :– **मकान नं. 145/2, ग्राम इटौरा, पो. सगरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9424337944,
ईमेल आईडी – singhbp903@gmail.com

पंजीयन क्रमांक 11971
पंजीयन दिनांक 23/9/14
संशोधन दिनांक 26/4/17
सहायक पंजीयक

3. समिति का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1. लड़कियों को शिक्षा देने/प्रौढ़ महिलाओं, पुरुषों अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, गरीबों एवं दूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर रोजगार प्राप्त करने या प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये दक्ष बनाना तथा इस हेतु शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना तथा शिक्षा के अधिकार के अधीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही हेतु सुझाव एवं खामियों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़े और निराश्रितों के सामाजिक न्याय के लिये सहयोग करना तथा उनकी समस्यायें शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर समस्त वैधानिक उपायों द्वारा निराकरण करवाना।
3. विभिन्न सामाजिक एवं ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना, सामाजिक विकास के लिये उन्हें कुटीर उद्योगों की जानकारी देना, विकलांगों, नेत्रहीनों, अनाथ, विधवा, वृद्धों तथा निराश्रितों की मदद करना, पुनर्वास केन्द्र एवं आश्रमों का संचालन करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत प्रसवोत्तर देखभाल तथा प्रसव गृह, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कराना।
4. महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन, नियोजन एवं अन्य योजनाओं के प्रति जनजागरूकता लाने के लिये शिक्षण–प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना।
5. ग्राम के सुदूर क्षेत्रों की ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पशु पालन, गौसंवर्धन, जैविक खाद का उपयोग, पारम्परिक एवं आधुनिक कृषि कार्य का सम्वन्वय स्थापित कर विपुल कृषि उत्पादन हेतु कृषक जागरण करना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष कल्पना कल्याण समिति रीवा (म०प्र०)	सचिव कल्पना कल्याण समिति रीवा (म०प्र०)	कल्पना कल्याण समिति

6. पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना।

7. विधिक परामर्श, गरीब, असहाय एवं पीड़ित लोगों को उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनी योजनाओं की जानकारी देना एवं विभाग के समन्यवय स्थापित कर विधिक जागरूक बनाना।

पंजीयन क्रमांक 1197/
पंजीयन दिनांक 23/9/14
संशोधन दिनांक 26/4/15
सहायक पंजीयक

संशोधित उद्देश्य :–

8. विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार समय–समय पर विभिन्न विषयों जैसे–स्वच्छता, नशामुक्ति, धूम्रपान, ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा स्वास्थ्य, फसल बीमा संरक्षण, बागवानी एवं उद्यानिकी संरक्षण, भूमि एवं जल स्त्रोतों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, कुष्ठ रोग, एड्स नियंत्रण, श्रमदान तथा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, मलेरिया रोकथाम, योग शिक्षा आदि विषयों पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित करना तथा समस्त कार्य करना।

9. पंचायती राज प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पशुपालन कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व सहायता समूहों, छात्रों, शिक्षकों, पालकों, स्वयंसेवी संगठनों आदि की क्षमता वृद्धि हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित करना, महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु उचित पोषण आहार की जानकारी एवं बच्चों को टीकाकरण की जानकारी देना तथा कुपोषित बच्चों को पुर्नवास हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र संचालित करना तथा प्रशिक्षण देना। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ विशेष अभियान चलाना, मूक बधिर एवं विकलांग विद्यालय संचालित करना।

10. विभिन्न विषयों पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर सेमिनार, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं, खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा महापुरूषों के जीवनी पर संगोष्ठी आयोजित करना। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, झूलाघर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जैसे कम्प्यूटर, डिजिटल सूचना एवं कौशल विकास का संचार उद्यमिता, स्वास्थ्य लैब, सिलाई कढ़ाई तथा बालश्रमिकों व शालात्यागी बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध सुविधाओं हेतु जागरूकता उत्पन्न करना। समिति के माध्यम से स्कूल, कालेज, नर्सिंग कालेज तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे साक्षरता केन्द्रों, संस्कार शिक्षा केन्द्रों, आवासीय, गैरआवासीय छात्रावासों का संचालन करना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिसद, संचालकों, सभा या शासी–निकाय को सौपा गया है। जिनके नाम पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र.	नाम	पिता / पति का नाम	पद	पूर्णपता	व्यवसाय
1	भानु प्रताप सिंह	श्री इन्द्र नारायण सिंह	अध्यक्ष	145 / 2, इटौरा, पोस्ट सगरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	अधिवक्ता
2	गंगा प्रसाद विश्वकर्मा	स्व. श्री छत्रधारी विश्वकर्मा	उपाध्यक्ष	11 / 245, बजरंग नगर, ब्लाक आफिस के पीछे, हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	अधीक्षण यंत्री से.नि.
3	श्रीमती माया सिंह	श्री सिद्धेश्वर सिंह	सचिव	H.N. 9 / 116 पटेल छात्रावास के पास हुजूर रीवा (म.प्र.)	समाजसेविका
4	अच्छेलाल सिंह	स्व. श्री सर्वसुख सिंह	कोषाध्यक्ष	म.नं. 642 / 10, हा.से. स्कूल के पास, अनंतपुर, हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	आर्मी से.नि.
5	सत्यशरण पटेल	श्री सूर्यदीन पटेल	संयुक्त सचिव	ग्राम तडौरा पोस्ट डिघवार मउगंज रीवा (म.प्र.)	अनु.अधि. से.नि
6	अमिरूल्ला खान	स्व. रहीम खान	सदस्य	घोघर, रानीगंज हुजूर रीवा (म.प्र.)	प्राध्यापक से. नि.
7	श्रीमती इन्द्रवती सिंह	श्री रामदोस्त सिंह	सदस्य	ग्राम कुठिला, पोस्ट बसरेही, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.)	समाजसेविका
8	श्रीमती सुधा सिंह	श्री सत्यभान सिंह	सदस्य	33, टैगोर नगर फेस 1, नियर एस.ओ. एस. भोपाल (म.प्र.)	समाजसेविका
9	मो. शिल्पकार	मो. आशिक	सदस्य	145 / 1 इटौरा, पोस्ट सगरा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	निजव्यवसाय

पंजीयन क्रमांक 1197
पंजीयन दिनांक 23/9/14
संशोधन दिनांक 26/4/17
सहायक पंजीयक

कल्पना कल्याण समिति रीवा (अध्यक्ष)

सचिव
कल्पना कल्याण समिति रीवा (म०प्र०)

कोषाध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति रीवा (कोषाध्यक्ष)

3. समिति इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक–एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973(1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संलग्न है। हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं:–

क्र0	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित	हस्ता.
1	भानु प्रताप सिंह श्री इन्द्र नारायण सिंह 145/2, इटौरा, पोस्ट सगरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र	हस्ता
2	गंगा प्रसाद विश्वकर्मा स्व. श्री छत्रधारी विश्वकर्मा 11/245, बजरंग नगर, ब्लाक आफिस के पीछें, हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	हस्ता
3	श्रीमती माया सिंह श्री सिद्धेश्वर सिंह H.N. 9/116 पटेल छात्रावास के पास हुजूर रीवा (म.प्र.)	हस्ता
4	अच्छेलाल सिंह स्व. श्री सर्वसुख सिंह म.नं. 642/10, हा.से. स्कूल के पास, अनंतपुर, हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	हस्ता
5	सत्यशरण पटेल श्री सूर्यदीन पटेल ग्राम तडौरा पोस्ट डिघवार मउगंज रीवा (म.प्र.)	हस्ता
6	अमिरूल्ला खान स्व. रहीम खान घोघर, रानीगंज हुजूर रीवा (म.प्र)	हस्ता
7	श्रीमती इन्द्रवती सिंह श्री रामदोस्त सिंह ग्राम कुठिला, पोस्ट बसरेही, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.	हस्ता
8	श्रीमती सुषमा सिंह श्री सत्यभान सिंह 33, टैगोर नगर फेस 1, नियर एस.ओ. एस. भोपाल (म.प्र.)	हस्ता
9	मो. शिल्पकार मो. आशिक 145/1 इटौरा, पोस्ट सगरा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	हस्ता

पंजीयन क्रमांक 11971
पंजीयन दिनांक 23/3/14
संशोधन दिनांक 26/4/17

सहायक पंजीयक

साक्षी :–

हस्ताक्षर हस्ता.

साक्षी का नाम :– **देवेन्द्र सिंह पिता**

साक्षी का पिता/पति :– श्री छोटेलाल सिंह

पूर्णपता :– 11/245, बजरंग नगर, रीवा (म.प्र.)

18/5/17

(अजय खरे)
सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा संभाग रीवा

अध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति
रीवा (म.प्र.)

सचिव
कल्पना कल्याण समिति
रीवा (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
कल्पना कल्याण समिति
रीवा (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AM 114236

असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ रीवा संभाग रीवा

Cancelled

18/5/17

कक्षधारक
कार्या० फर्म्स एवं संस्थाएँ रीवा संभाग
रीवा (म०प्र०)